

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2019/ 2454

दिनांक 6-12-2019

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या.....125/19

तहसीलदार सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2273 दिनांक 6-11-2019 के संलग्न प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरौही को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। *As Approve*

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर  
(उपलैण्ड सिरौही)  
सिरौही (राज.)

श्रीमान तहसीलदार साहब  
तहसील-सिरोही

विषय: मौजा भैरमांडवाड़ा में खाल सं- 735 में शुद्धि करने का बत।

प्रहोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है मौजा-भैरमांडवाड़ा के खाल सं-  
735 में खालदारों के स्वयं के नाम दो बार हीस्सा दर्ज हुआ है अतः  
भैरमांडवाड़ा में खाल सं- 735 में खालदार का हीस्सा एक ही किया  
जाना अपेक्षित है अतः श्रीमान से निवेदन है कि मौजा भैरमांडवाड़ा  
के खाल सं- 735 में प्रस्तावित शुद्धि प्रस्ताव के अनुसार शुद्धि  
पत्र बनने के आदेश प्रदान करावें।

शा.जा.पत्र 125/19  
अ.प्यारा 136 LR Act

अवधीय

जेष्ठ

05-10-19

पत्तारी (भू-अ) भैरमांडवाड़ा

LOR

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार (भू. अ०) सिरोही

22/11/19

क्रमांक/भू.अ./2019/2273

दिनांक 6-11-19

मूल ही क्षेत्रगत अवावण अभिकर्त्री महोदय, सिरोही के प्रेषित  
का निवेदन है कि मौजा भैरमांडवाड़ा के खाल सं. 735 (जमाबंदी  
चालू सन् 2010-2013) में धरमसिंह पुत्र शेरसिंह, सुरजकंठ पाले  
दलपतसिंह व हउमरसिंह पुत्र शेरसिंह का इन्डान दोहरे नाम है,  
उक्त दोहरे नाम का एकीकरण हिसा जोड़ने हुए किया जाना  
अपेक्षित है। प्रस्तावित हलका भैरमांडवाड़ा की सीपेट अनुसार किया  
जाना उचित है। अतः प्रस्तावित एकीकरण शुद्धि पत्र वास्तु उचित  
आदेशार्थ को संलग्न पेश है।

संलग्न:-

(1) प्रस्तावित शुद्धि पत्र

(2) जमाबंदी खाल नकल

तहसीलदार (भू.अ०) सिरोही

16/11  
25/11/19

